वित्ती; स्वीकृति

संख्या:10/2015 /585 प्रो0/51-2015-14(54)/2012

प्रेषक,

इन्द राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक,
राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ :दिनांक 09 मार्च, 2015

विषय:- राजभवन, लखनऊ में पधारने वाले राज्य अतिथिगणों के भोजनादि पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:जी-784/जी0 एस0, दिनांक 20 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित राज्य अतिथिगण के भोजनादि से संबंधित 04 देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रुपये 9,000-00 (रुपये नौं हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किया जा रहे हैं ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन- आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक -मूलदेयक ।

भवदीय

( इन्द्र राज सिंह )
उप सचिव ।

संख्या: 10/2015 /585 (1)प्रो/51-2014-14(54)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभा-5,
3 - मुख्य कोषाधिकारी, राजभवन, लखनऊ ।
4- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

( इन्द्र राज सिंह )
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:585 प्रो0/51-2014-14(54)2012, दिनांक 09 मार्च, 2015

<u>का संलग्नक</u>

| क्रमांक | मा0 महानुभावों का नाम/पदनाम/दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1- | मा0 पी0 वी0 अचार्या, राज्यपाल नागालैण्ड<br>तथा पत्नी एवं ए0 डी0 सी0 श्री राज्यपाल,<br>नागालैण्ड ।<br>दिनांक 02-10-2014 से 03-10-2014 तक, | रु 3,000-00 |
| 2- | मा0 श्री रामनरेश यादव, राज्यपाल, मध्य प्रदेश<br>भोपाल तथा ए0 डी0 सी0 एवं डाक्टर श्री पाठक<br>श्री राज्यपाल ।<br>दिनांक 05-10-2014 से 06-10-2014, | रु 3,000-00 |
| 3- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री पी0 सी0 पन्त, जज,<br>मा0 उच्चतम न्यायालय, भारत ।<br>दिनांक 11-10-2014 से 12-10-2014 तक, | रु 2,000-00 |
| 4- | मा0 न्यायमूर्ति, श्री टी0 एस0 ठाकुर, जज,<br>मा0 उच्चतम न्यायालय, भारत ।<br>दिनांक 11-10-2014, | रु 1,000-00 |
| | ( रुपये नौ हजार मात्र) कुल योग | रु 9,000-00 |

( इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।